



क्रमांक: एफ4 ()आकाशि/नि.सं./2020/१५५
सचिव,
प्रबंध समिति,
निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

दिनांक 27/05/2020

विषय:-सत्र 2017-18, 2018-19, सत्र 2019-20 के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के क्रम में निर्धारित अन्तिम तिथि में संशोधन करने बाबत।
संदर्भ:- विभाग का समसंख्यक पत्रांक 230 दिनांक 13.03.2020

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के टीएनओसी अभिवृद्धि/ पीएनओसी हेतु लम्बित प्रकरणों में छात्र हित के मध्येनजर कमीपूर्ति अथवा नियमानुसार शास्ति राशि व्यक्तिशः उपस्थित होकर जमा कराने की निर्धारित अन्तिम तिथि 30.03.2020 में कोविड-19-लॉकडाउन के कारण निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

क्र.सं.	प्रकरण विषय	दिनांक
1	सत्र 2017-18 के टीएनओसी अभिवृद्धि/ पीएनओसी हेतु कमीपूर्ति/ शास्ति जमा करवाने की अन्तिम तिथि	15.07.2020
2	सत्र 2018-19 के टीएनओसी अभिवृद्धि/ पीएनओसी हेतु कमीपूर्ति/ शास्ति जमा करवाने की अन्तिम तिथि	15.07.2020
3	सत्र 2019-20 के टीएनओसी अभिवृद्धि/ पीएनओसी हेतु कमीपूर्ति/ शास्ति जमा करवाने की अन्तिम तिथि	15.07.2020

1. सत्र 2017-18 से लम्बित NOC प्रकरण में संस्था को, कमीपूर्ति के अभाव में सत्र 2017-18 से सत्र 2019-20 तक तीनो सत्रों हेतु नियमानुसार प्रत्येक सत्र हेतु निर्धारित शास्ति राशि अन्तिम दिनांक 15.07.2020 तक जमा करवानी होगी।
2. सत्र 2018-19 से लम्बित NOC प्रकरण में संस्था को, कमीपूर्ति के अभाव में सत्र 2018-19 से सत्र 2019-20 तक दो सत्रों हेतु नियमानुसार प्रत्येक सत्र हेतु निर्धारित शास्ति राशि अन्तिम दिनांक 15.07.2020 तक जमा करवानी होगी।

उक्त महाविद्यालय कमीपूर्ति के समस्त दस्तावेज आवश्यक रूप से नोडल अधिकारी से प्रमाणित करवाकर ही आयुक्तालय को प्रस्तुत करें। उक्त निर्धारित तिथि पश्चात कमीपूर्ति/शास्ति राशि जमा नही कराने वाली संस्था की एनओसी सत्र 2020-21 से क्रमिक रूप से निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(प्रदीप कुमार बोरड़, IAS)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्राचार्य नोडल राजकीय महाविद्यालय को भेज कर लेख हैं कि आपकी तहसील में अवस्थित निजी महाविद्यालयों द्वारा, सत्र 2017-18, 2018-19, सत्र 2019-20 के लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित दस्तावेजों को प्राथमिकता से प्रमाणित करें।
2. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निर्देशक (नि. सं.)